लोकसभा अध्यक्ष

संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद इसके नवनिर्वाचित सदस्य यथाशीघ्र अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वाह उपाध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का स्थान वरीयताक्रम में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद आता है। इस दृष्टि से लोकसभा अध्यक्ष का पद मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों से ऊंचा होता है। उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिये जाते हैं, जिसके लिए संसद से स्वीकृति होना अनिवार्य नहीं होता।

लोकसभा अध्यक्ष सदन के कार्यों का संचालन करते हुए उसकी कार्यवाहियों को नियमित करते हैं। समस्त संसदीय मामलों में उनका निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होता है। सदन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अध्यक्ष को अनेक अधिकार प्राप्त हैं जिनके अन्तर्गत कोई सदस्य सदन में अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकता।

सदन की कार्यवाही का वृतांत भी अध्यक्ष के निर्देश पर तैयार किया जाता है। अध्यक्ष किसी सदस्य के वकतव्य अथवा उसके किसी अंश को कार्यवाही से बाहर रखने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे अंश को प्रकाशित-प्रसारित करने का अधिकार मीडिया को भी नहीं है।

सदन में अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार सदस्य को अध्यक्ष एक दिन या दिन के किसी भाग विशेष के लिए सदन से चले जाने का आदेश दे सकते हैं और गम्भीर अपराध होने पर उसे सदन से निलंबित भी कर सकते हैं। सदस्यों को अनुशासित रखना अध्यक्ष का ही काम है। सदन में किसी सदस्य की जानहानि न हो, इसका भी ध्यान अध्यक्ष रखते हैं।

Scanned by TapScanner

सदन के सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों, प्रश्नों आदि की सूचनाओं को स्वीकार करने या न करने पर विचार करते समय अध्यक्ष को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनमें से महत्वपूर्ण विषय कौन-कौन से हैं, जिन्हें लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष को 'सदन का सेवक' कहा जाता है, स्वामी नहीं। यदि लोकसभा का कोई सदस्य किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है अथवा पंडित किया जाता है तो इसकी सूचना अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन के परिसर में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

लोकसभा सचिवालय अध्यक्ष के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। सचिवालय के कर्मचारियों, सदन के परिसर और संसद भवन संपदा पर अध्यक्ष का अधिकार होता है, जिसका प्रयोग वह लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है।

लोकसभा अध्यक्ष के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को देखते हुए पं. नेहरू ने 8 मार्च, 1958 को कहा था, "अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन की गरिमा एवं स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। अतः यह उचित है कि यह सम्मान का पद हो, स्वतंत्र हो और सदा ऐसे व्यक्तियों से सुशोभित हो, जो असाधारण योग्यता रखते हों, और असाधारण रूप से निष्पक्ष हों।

3 फरवरी, 1921 को फ्रेडरिक व्हाईट को सभा का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विट्ठलभाई जे. पटेल जो गैर सरकारी सदस्य थे, 24 अगस्त, 1925 को इसका अध्यक्ष बनाया गया। स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात् पहले आम चुनाव के फलस्वरूप गठित प्रथम संसद का प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव G. V. मावलंकर को प्राप्त हुआ था।

Scanned by TapScanner

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ :-

(1) अध्यक्ष सदन की बैठकों का सभापतित्व करते हैं।
(2) सदन की कार्यवाई का संचालन करते हैं।
(3) गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में वे सदन को स्थगि
कर सकते हैं।
(4) संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की
अध्यक्षता वही करते हैं।
(5) कोई विधेयक धनविधेयक है या नहीं, इस पर अध्
का ही विनिश्चय अन्तिम होता है।
(6) पक्ष-विपक्ष में बराबर मत होने पर अध्यक्ष द्वारा
निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है।

Guru Prasad Rathaur
Asst. Professor (Political Science)
Government Degree Colleges
Gosaikheda, Unnao

Scanned by TapScanner